राकेश जैंन तनय श्री खुशाल चन्द्र जैन
निवासी बेनीगंज मोहल्ला छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.......................निगरानीकर्ता/आवेदक

2014

विरूद्ध

शासन म.प्र..गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959
आदेश विरूद्ध अभ्यावेदन प्रकरण क्र. 698/ अ-20/07-08 राकेश जैन ,बसंत जैन तनय श्री खुशाल चंद्र जैन निवासी बेनीगंज मोहल्ला छतरपुर विरूद्ध शासन म.प्र. में पारित आदेश दिनॉक 17/फरवरी/2014 से दु:खी होकर।

महोदय ,

(6)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग. 1417–तीन/14 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–11–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गये तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण शासकीय भूमि चबूतरा बनाकर अतिकमण किए जाने की शिकायत के आधार पर प्रारंभ हुआ है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए तथा स्थल जांच प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरांत यह पाया है कि आवदकों द्वारा 8.91 फीट रोड का रकबा अतिकमित कर चबूतरे का निर्माण किया गया है और उक्त आधारों पर उन्होंने कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य न पाते हयुए आवेदकों द्वारा अभ्यावेदन निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में राकेश जैन एवं बसंत जैन 2 व्यक्ति पक्षकार हैं जबकि इस न्यायालय में निगरानी केवल राकेश जैन द्वारा की गई है । प्रकरण में बसंत जैन को इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का भी दोष है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । 2– आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रशा0 सदस्य	